सड़क सुरक्षा / उच्च प्राथमिकता।


कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून।
फोन न0.0135 2608108 फैक्स न0–2608108


संख्या 6736 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8(25) / 2017 दिनांक: 28 नवम्बर, 2017

सेवा में,

1– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
2– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– आयुक्त, आबकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– महानिदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– आयुक्त, राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
9– कमाण्डेन्ट, सीमा सुरक्षा संगठन, ऋषिकेश जिला–देहरादून।
10–रिजनल ऑफिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 58 / 37–बलबीर रोड़, डालनवाला, देहरादून।

**विषयः–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09–10–2017 को सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण के अनुश्रवण हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड, शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09–10–2017 को सम्पन्न हुई राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण के अनुश्रवण हेतु गठित समिति की बैठक का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अतः बैठक के कार्यवृत्त संख्या–789 / 25(2015) / ix–1 / 2017 दिनांक 17–11–2017 की प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि सूचना संकलित करते हुये शासन को प्रेषित की जा सकें।

**संलग्न–यथोक्त।**

भवदीया,

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

6051 Com 28/11/17

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता पथ नवम वृत्त लो0नि0वि0 विभाग 28/11/17 28 NOV 2017 देहरादून

सं0 6051/111(1) सी-9/17 दि. 28.11.17
प्रति अ0 अ0 प्रा0 नि0 अ0 एवं लो0 नि0वि0 देहरादून। ऋषिकेश। रुड़की। चकराता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रति श्री आर के कलसरा स0अ0 को उक्त क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
सं0– 28/11/17

अधीक्षण अभियन्ता
नवम वृत्त, लो0नि0वि0
देहरादून
28/11/17

क्रमशः–2–

96/26 — By 16.03.2018

संख्या 6736 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8(25) / 2017 समदिनांकित

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव / सचिव, परिवहन / गृह / लोक निर्माण / शहरी / आबकारी / वित्त / शिक्षा / चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– सदस्य लीड एजेन्सी, सम्बन्धित विभाग।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

o/c

23/11/2017

**दिनांक 09–10–2017 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण के अनुश्रवण हेतु गठित समिति की बैठक का कार्यवृत्त।**

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1– श्री आनन्द बर्धन, प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
2– श्री डी0सेन्थिल पाण्डियन, सचिव एवं आयुक्त, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
3– श्री अजय रौतेला, अपर सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
4– श्री अशोक कुमार, अपर महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय।
5– श्री बृजेश कुमार सन्त, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
6– श्री कैप्टन ए0एस0 तिवारी, अपर सचिव एवं महानिदेशक, शिक्षा विभाग,उत्तराखण्ड।
7– श्री राजेश कुमार, अनु सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
8– श्रीमती सुनीता सिंह, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
9– श्री केवल खुराना, पुलिस अधीक्षक, सड़क सुरक्षा सैल, पुलिस मुख्यालय।
10– श्री सनत कुमार सिंह, सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11– श्री दीपक जैन, महाप्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
12– श्री सुधांशु गर्ग, संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
13– श्रीमती एम0बी0रावत, उप निदेशक, शिक्षा विभाग, देहरादून।
14– डॉ0 एस0पी0 अग्रवाल, अपर निदेशक, चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड।
15– श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
AD(R.S) 16– श्री नरेश संगल, सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा, परिवहन मुख्यालय।
17– श्री हीरा सिंह बर्गली, सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा, परिवहन मुख्यालय।
18– श्री उदय सिंह राणा, अपर निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
19– श्रीमती एम0बी0रावत, उप निदेशक, शिक्षा विभाग, देहरादून।
20– श्री आर0सी0 शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0विभाग, देहरादून।
23/11/17 21– श्री आर0सी0 अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0विभाग, देहरादून।
22– श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास विभाग, देहरादून।
23– श्री सी0कुमार, अधिशासी अभियन्ता, शिवालिक प्रोजेक्ट, बी0आर0ओ0।
24– श्री प्रबोध कुमार घिल्डियाल, यातायात निरीक्षक सदस्य लीड एजेंसी।

कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून
23.11.17
संख्या 3395

सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 13–04–2017 को अनुश्रवण समिति एवं दिनांक 15–05–2017 को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अवगत कराया गया कि माह जनवरी 2017 से सितम्बर 2017 तक राज्य में कुल 1178 वाहनों की दुर्घटना हुई है, जिसमें 698 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 1239 व्यक्ति घायल हुए। उक्त दुर्घटना/मृत्यु/घायलों की संख्या गत वर्ष इसी अवधि में घटित दुर्घटना/मृत्यु/घायलों की तुलना में क्रमशः 1.17 प्रतिशत, 1.13 प्रतिशत एवं 7.74 प्रतिशत कम है।

2— बैठक में अवगत कराया गया कि दुर्घटना की दृष्टि से राज्य में देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर जनपद सर्वाधिक संवेदनशील है और इन जनपदों में लगभग 79.03 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा वर्ष 2020 तक दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में 50 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य रखा गया है, जिसके क्रम में वर्ष 2017 के लिये 10 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है, परन्तु 09 माह की अवधि में दुर्घटनाओं की संख्या में मात्र 1 प्रतिशत की कमी आयी है।

3— जनपदवार विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि दुर्घटनाओं की संख्या में गत वर्ष की तुलना में देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत एवं बागेश्वर में वृद्धि हुई है, जबकि मृतकों की संख्या में उत्तरकाशी, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल एवं चम्पावत में वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के निर्देशों के अनुपालन में सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाये और आगामी अवशेष अवधि में दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु समग्र प्रयास किये जायें। यह भी निर्देश दिये गये कि राज्य के 04 सर्वाधिक दुर्घटना वाले जनपदों पर विशेष ध्यान केन्द्रीत करते हुए, यहां हैल्मेट सम्बन्धी कानूनों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायें।

4— इसके अतिरिक्त बरसात में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न की जाये, ताकि सड़क की ख़राबी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

5— सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में कतिपय कार्य बजट से सम्बन्धित है, जबकि कई मामलों में जिलाधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जानी है। अतः अनुश्रवण समिति में सचिव, वित्त के अतिरिक्त आर0ओ0, एन0एच0ए0आई0 तथा मण्डलायुक्तों को भी सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा उक्त अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए, अनुश्रवण समिति गठन की संशोधित अधिसूचना तत्काल निर्गत करने के निर्देश दिये गये।

6— बैठक में अवगत कराया गया कि "सड़क सुरक्षा कोष नियमावली" प्रख्यापन हेतु अधिसूचना निर्गत की गयी है और सम्बन्धित पक्षों से अपत्तियां/सुझाव आमन्त्रित किये गये हैं। प्रस्तावित नियमावली में परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा वसूल किये जा रहे प्रशमन शुल्क का 25 प्रतिशत भाग उक्त निधि में जमा कराये जाने का प्राविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि माह अक्टूबर, 2017 के अन्त तक उक्त नियमावली प्रख्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाये तथा साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त निधि में 25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत धनराशि जमा किये जाने और आबकारी विभाग द्वारा वसूल किये जा रहे 01 प्रतिशत सड़क सुरक्षा सैस को भी जमा करने की व्यवस्था की जाए।

7— मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में लीड एजेंसी को स्थायी बनाये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है। उक्त लीड एजेंसी में परिवहन विभाग में सृजित सहायक निदेशक के निसंवर्गीय पदों को स्थायी किये जाने के अतिरिक्त पुलिस/लो0नि0वि0/शिक्षा/चिकित्सा विभाग के लिए स्थायी पदों का सृजन तथा अन्य स्टैक होल्डर विभागों के लिए अंशकालिक सदस्य नामित किया जाना प्रस्तावित है। लीड एजेंसी में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के 06 पदों के सृजन का भी प्रस्ताव है। परिवहन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जायेगे। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि गत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में उक्त लीड एजेंसी के पुर्नगठन सम्बन्धी अधिसूचना प्राथमिकता के आधार पर निर्गत किये जाने तथा लीड एजेन्सी हेतु वाहनों की व्यवस्था 'सड़क सुरक्षा कोष' की स्थापना के उपरान्त उक्त निधि से की जाए।

8— परिवहन विभाग में लाईसेंस एवं फिटनेस सम्बन्धी कार्य देख रहे तकनीकी अधिकारियों के पदों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उक्त पदों का परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि विभाग में परिवहन कर अधिकारी–2 के गैर–तकनीकी पदों को तकनीकी पदों में प्रत्यावर्तित कर तकनीकी पदों के प्रत्यावर्तन/सृजन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न की जाये।

9— ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक एवं ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उक्त निर्माण हेतु हरिद्वार में भूमि उपलब्ध हो गयी है। इसके अतिरिक्त ट्रैक्स के लिए 06 स्थानों पर और टेस्टिंग लेन हेतु 04 स्थानों पर भूमि चिन्हित कर ली गयी है, उक्त चिन्हित भूमि विभाग के नाम हस्तान्तरण हेतु कार्यवाही गतिमान है। इस सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिये गयेः–

(1) हरिद्वार में आटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक्स के निर्माण हेतु निविदा आदि की कार्यवाही समयबद्ध रूप में सम्पन्न की जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि इस मद में प्राविधानित बजट का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में हो सके।

(2) आटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक्स के ऑटोमेशन एवं संचालन में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट से किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक् प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

(3) आटोमेटिड टेस्टिंग लेन के निर्माण हेतु प्रस्तावित आई0कैट के चयन में सभी औपचारिकताओं का ध्यान रखा जाये तथा प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति हेतु शीघ्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाये।

(4) उक्त दोनों योजनाओं में भविष्य के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने और उक्त कार्य पी0पी0पी0 मोड़ पर कराये जाने के दृष्टिगत मा0 मंत्रिमण्डल का भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(5) अन्य स्थानों पर भूमि चयन/हस्तान्तरण की कार्यवाही में तेजी लायी जाये।

10— देहरादून में ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण होने तक चालकों की परीक्षा आई0डी0टी0आर0, झाझरा में लिये जाने की व्यवस्था की जाये। इस हेतु प्रारम्भ में व्यवसायिक वाहन चालकों की परीक्षा का आयोजन आई0डी0टी0आर0 में किया जा सकता है। कालान्तर में उक्त अनुभव के आधार पर अन्य श्रेणी के लाईसेंस की परीक्षा भी आई0डी0टी0आर0 में लेने पर विचार किया जा सकता है।

11— हल्द्वानी में प्रस्तावित चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव विगत 6—7 वर्षों से वन विभाग के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें एन0पी0वी0 की धनराशि भी वन विभाग को वर्ष 2011 में भुगतान की जा चुकी है। केवल वन विभाग से औपचारिक स्वीकृति निर्गत होना शेष है। भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् चालक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु योजना भारत सरकार को वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित की जायेगी। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि वन विभाग द्वारा भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति निर्गत करते हुए नोडल अधिकारी, वन एवं भूमि हस्तान्तरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

12— राज्य के अवशेष 11 परिवहन कार्यालयों में 'सारथी 4.0' रोल आउट किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 05 कार्यालय अभी तक स्वॉन परियोजना से नहीं जुड़ सके है, जबकि अन्य में अपेक्षित बैण्डविड्थ प्राप्त न होने के कारण 'सारथी 4.0' रोलआउट किये जाने में कठिनाई हो रही है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आई0टी0डी0ए0, बी0एस0एन0एल0, एन0आई0सी0 एवं परिवहन विभाग की एक बैठक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत की जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि कनैक्टिविटी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा बी0एस0एन0एल0 से इतर विकल्पों पर भी विचार करते हुए, निजी कम्पनियों की कनैक्टिविटी भी प्राप्त कर ली जाये, ताकि जनता का कार्य प्रभावित न हो।

13— मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा प्रत्येक जनपद में प्रतिमाह जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत करने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि माह अप्रैल, 2017 से अभी तक कुल 30 बैठकों के आयोजन की सूचना प्राप्त हुई है, जिनमें से अल्मोड़ा जनपद में किसी बैठक की सूचना प्राप्त नहीं है, जबकि ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़ एवं रूद्रप्रयाग में 1—1, चम्पावत, बागेश्वर, पौड़ी में 2—2, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून में 3—3 तथा टिहरी, उत्तरकाशी में 5—5 बैठकें आहूत हुई है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि मा0 समिति द्वारा की गयी अपेक्षानुसार जिला स्तर पर प्रतिमाह बैठक आहूत की जाये। इस हेतु जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव की ओर से निर्देश प्रेषित किये जाये।

14— मोटर बाईक एम्बूलेन्स के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि 108 कम्पनी को ही पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून/हरिद्वार में मोटर बाईक एम्बूलेन्स परीक्षण के तौर पर संचालन हेतु निर्देशित किया जाये।

15— दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एम्बुलेंस वाहनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिल्ली राज्य की भाँति उत्तराखण्ड राज्य में भी परिवहन विभाग द्वारा एम्बूलेन्स के पंजीयन एवं फिटनेस जारी करने से पूर्व चिकित्सा विभाग द्वारा उसका परीक्षण करने की व्यवस्था किया जाना उपयुक्त होगा। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि चिकित्सा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश तत्काल निर्गत किये जाये और इस कार्य हेतु चिकित्सा विभाग की ओर से जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अधिकृत किया जाये।

16— विगत वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं का साइंटिफिक विश्लेषण परिवहन, पुलिस, लो0नि0वि0 की संयुक्त टीम द्वारा किया जाना अधिक उपयुक्त होगा, ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा सके। अतः पुलिस विभाग द्वारा विगत 3—4 वर्षों में घटित समस्त दुर्घटनाओं का विस्तृत विवरण लीड एजेंसी को उपलब्ध कराया जाये और भविष्य में घटित होने वाली प्रत्येक दुर्घटना का माहवार विस्तृत विवरण प्रेषित किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा प्रत्येक जनपद में इस कार्य हेतु 1—1 टीम का गठन करेंगी और उक्त टीम द्वारा अपनी रिपोर्ट लीड एजेंसी को प्रस्तुत की जायेगी।

17— सिनेमाघरों में प्रत्येक शो से पहले सड़क सुरक्षा लघु फिल्मों का प्रदर्शन किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि इस आशय की शर्त लाईसेंस में जोड़ दी गयी है, परन्तु मंनोरंजन कर विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य के 69 में से मात्र 29 सिनेमाघरों में ही उक्त फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सभी जिलाधिकारियों को लाईसेंस की उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाये और जिन सिनेमाघरों में इसका उल्लघंन किया जाता है, उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

18— राजमार्गों के किनारे लगे होर्डिंग्स/आब्जैक्ट्स हटाये जाने के सम्बन्ध में लो0नि0वि0 एवं शहरी विकास विभाग द्वारा सूचना प्रस्तुत की गयी। लो0नि0वि0 द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा होर्डिंग्स लगाये जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, अपितु मार्गों पर नगर निगम/नगर निकाय की स्वीकृति से होर्डिंग्स लगे हैं। प्रस्तुत सूचना के अनुसार लो0नि0वि0 द्वारा चिन्हित होर्डिंग्स में से 43 एवं शहरी विकास विभाग द्वारा चिन्हित होर्डिंग्स में से 195 होर्डिंग्स हटाया जाना शेष है। इस सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिये गये:—

(1) लो0नि0वि0 एवं शहरी विकास विभाग द्वारा समस्त अनाधिकृत एवं ऐसे होर्डिंग्स/ऑब्जेक्ट्स, जो वाहन चलाने में बाधा उत्पन्न करते हों, को तत्काल हटाने की कार्यवाही की जाये।

(2) प्रथमतः उपरोक्त चिन्हित 238 होर्डिंग्स को हटाया जाये। इसके पश्चात् अन्य लगे होर्डिंग्स का भी सर्वेक्षण पुनः किया जाये कि वें निर्धारित शर्तों के विपरीत तो नहीं लगे हैं अथवा वाहन चलाने में बाधा तो उत्पन्न नहीं करते हैं, यदि ऐसा पाया जाये, तो उक्त होर्डिंग्स को भी तत्काल हटाया जाये।

(3) लो0नि0वि0 एवं शहरी विकास विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जनपदवार आख्या प्रेषित की जाये।

(4) प्रतिवर्ष माह मार्च एवं सितम्बर में सर्वेक्षण की कार्यवाही की जाये और चिन्हित होर्डिंग्स को तत्काल हटाया जाये।

(5) नगर विकास विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश प्रेषित किये जाये कि वें होर्डिंग्स लगाने की अनुमति प्रदान करते समय इस तथ्य का ध्यान रखे कि उक्त होर्डिंग वाहन चलाने में बाधा उत्पन्न न करते हों।

(6) इसी प्रकार फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी समयबद्ध रूप में सम्पन्न की जाये।

19— राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों से शराब की दुकानों को हटाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि आबकारी विभाग से प्राप्त सूचनानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग से 263 एवं राज्य राजमार्ग से 163 शराब की दुकानों को हटाया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि आबकारी विभाग द्वारा अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की जाये।

20— थर्ड पार्टी आडिट किये जाने के उद्देश्य से रोड सेफ्टी आडिटर की तैनाती, लीड एजेन्सी में ही किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि राज्य सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना होने के पश्चात् ऑडिटर को इन्पेनल करने की कार्यवाही की जाये।

21— यह भी निर्देश दिये गये कि लो0नि0वि0 में ही इस सम्बन्ध में अभियन्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान कराया जाये और विभाग में ही क्षमता विकास किया जायें। साथ ही निर्देश दिये गये कि भविष्य में नियुक्त किये जाने वाले अभियन्ताओं में ऐसे अभियन्ताओं की नियुक्ति भी की जाये, जो रोड़ सेफ्टी ऑडिटर हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखते हों।

22— सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत तैयार किये जाने वाले प्रस्ताव के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों में 10 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों में किये जाने के सम्बन्ध में लो0नि0वि0 द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जनपदों से प्रस्ताव मांगे गये हैं और दिनांक 30—11—2017 तक संकलित प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य समयबद्ध रूप में प्रेषित करते हुए, उसका अनुश्रवण भी किया जाये।

23— राज्य में वर्तमान में 124 ब्लैक स्पॉट का चिन्हिकरण किया गया है, जिनमें से 99 राष्ट्रीय राजमार्ग पर तथा 25 राज्य मार्गों पर स्थित है। उक्त ब्लैक स्पॉट का सुधारीकरण 02 माह के भीतर करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त सुधारीकरण के पश्चात् लीड एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण किया जायेगा।

24— मार्गों पर ट्रैफिक कामिंग तकनीक की स्थापना के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सभी मार्गों पर अधिकतम गतिसीमा के बोर्ड, रम्बल स्ट्रीप, रोड मार्किंग आदि की

समुचित व्यवस्था की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उक्त कार्य आई0आर0सी0 मानकों के अनुरूप हो। इस सम्बन्ध में समय–समय पर लीड एजेंसी द्वारा कृत कार्यवाही का अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाये।

25– यह भी निर्देश दिये गये कि विभिन्न जनपदों में वाहनों की अधिकतम गतिसीमा निर्धारण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर लिया जाये। इस हेतु सभी जिलाधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए, समेकित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

26– स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से निर्देश दिये गये कि राज्य के सभी सरकारी, आई0एस0सी0, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के विद्यालयों में सभी छात्रों के लिए सड़क सुरक्षा विषय पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक छात्र को सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध हो सके।

27– इसी प्रकार ओवरस्पीडिंग/ओवरलोडिंग/रेड लाईट जम्पिंग/नशे की हालत में वाहन चलाना एवं वाहन चलाते हुए, मोबाईल पर बात करने वाले चालकों के लाईसेंसों को कम से कम 03 माह के लिए निलम्बन की कार्यवाही की जाये। इसके अतिरिक्त दुर्घटना करने वाले चालकों के लाईसेंस निरस्तीकरण की भी कार्यवाही की जाये।

28– Good Samaritan सम्बन्धी नियमों के व्यापक प्रचार–प्रसार के दृष्टिगत पूर्व में ही यह निर्देश दिये गये हैं कि सभी परिवहन कार्यालयों, पुलिस थानों/चौकियों एवं अस्पतालों में इस आशय के सूचना पट्ट लगाए जाएं ताकि किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुँचाने में किसी आम नागरिक को असुविधा का सामना न करना पड़े। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये कि यदि किसी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो वह पुलिस विभाग के कण्ट्रोल रूम नम्बर 100 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। सूचना पट्ट पर इस आशय की जानकारी भी उपलब्ध करायी जाए।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

**(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)**
सचिव।

**उत्तराखण्ड शासन**
**परिवहन अनुभाग–1**
**संख्या– 789/25(2015)/ix–1/2017**
**देहरादूनः दिनांक 17, नवम्बर, 2017**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/गृह/वन एवं परिवहन/चिकित्सा/ लो0नि0वि0/ शिक्षा/आबकारी सूचना प्रौद्योगिकी/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– नोडल अधिकारी, वन एवं भूमि हस्तान्तरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– उपस्थित अधिकारीगण।
5– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(हरि चन्द्र सेमवाल)**
अपर सचिव।